न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 25/11 (अपील)

प्रकरण दर्ज दिनांक : 14.09.2011 निर्णय दिनांक : 31.01.2020

अनवान्

1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री रोडीलाल पत्नी जगदीशप्रसाद कलाल निवासी चंगेडी हाल कुराबड तह. गिर्वा।

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता भगवान कलाल निवासी चंगेडी तह. मावली।
2. पटवारी साहब, पटवार हल्का चंगेडी तह. मावली।
3. ग्राम पंचायत चंगेडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चंगेडी तह. मावली।

.......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट्।
2. श्री मदनलाल त्रिपाठी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्ध निर्णय ग्रा.प. चंगेडी, बाबत ना. सं. 64 दि. 20.06.2011

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 31.01.2020

1. अपीलाण्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत चंगेडी बाबत् नामान्तरण संख्या 64 दिनांक 20.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि गांव भाण्डावास पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 2911, 3522/2772, 3563/2965 किता 3 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर खसरा नम्बर 3563/2965 रकबा 5 बीघा एवं आराजी नम्बर 2911 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3522/2772 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा मुझ अपीलान्ट के गोदीना पिता रोडा पिता भेरा कलाल के नाम पर अंकित है, जमाबन्दी की नकल संलग्न हैं।

akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि है और पूर्व में उक्त सम्पूर्ण भूमि मुझ अपीलान्ट के गोदीना पिता रोडा पिता भेरा कलाल के नाम पर थी और रोडा उर्फ रोडीलाल पिता भेराजी कलाल के कोई जायन्दा संतान नहीं होने से रोडीलालजी व इनकी पत्नी स्व. हमेरीबाई कलाल ने मुझ अपीलान्ट को सामाजिक रीति रिवाज व परम्परानुसार मुझ अपीलान्ट के प्राकृतिक माता पिता से 39 वर्ष पूर्व मेरी बाल्यावस्था में ही गौद रखा और इन्ही ने मुझे बडा किया, मेरा विवाह करवाया और आणा करवाया एवं मैं अपीलान्ट ही रोडीलालजी कलाल के यहां पुत्री की हैसियत से निवास कर उनकी सेवा सुश्रुषा करती रही और उक्त सामाजिक रितिरिवाजानुसार निष्पादित गोदनामा की कोई कानूनी लिखापढी नहीं होने से रोडीलालजी व इनकी पत्नी हमेरीबाई ने दिनांक 31.12.2007 को रजिस्टर्ड गोदनामा मुझ अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया और मैं अपीलान्ट ही रोडीलालजी कलाल की उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि और मकान का पुत्री की हैसियत से उपयोग उपभोग करती आ रही हू और उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा में भी रोडीलालजी व स्व. हमेरीबाई ने स्पष्ट रूप से अंकित किया कि हमारी कृषि भूमि व मकान की देखभाल करेंग व हमारी मृत्यु पश्चात् उक्त कृषि भूमि व मकान को अपने नाम पर दर्ज करवा सकेंगे। श्रीमती हमेरीबाई का स्वर्गवास दिनांक 18.08.2011 को हो गया है और उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर मैं अपीलान्ट पुत्री की हैसियत से विगत 20 वर्षो से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज हो काश्त कर रही हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है और वर्तमान में भी मेरी फसल खडी हैं। उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा की एक फोटोप्रति मुझ अपीलान्ट ने उसी समय अर्थात 31.12.07 के पश्चात तत्कालीन पटवारी साहब पटवार हल्का चंगेडी व ग्राम पंचायत चंगेडी में पेश कर दी थी।

3. यह कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो मेरे कलाल समाज का होकर गांव चंगेडी का ही रहने वाला है ने यह जानते हुए कि मै रोडीलालजी कलाल की गोदीना पुत्री हुं और विगत 39 वर्षो से रोडीलालजी के यहां पुत्री की हैसियत से निवास कर उनकी सेवा सुश्रुषा कर रही हुं और रोडीलालजी की उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हुं फिर भी रोडीलालजी कलाल जो कि 84 वर्ष के होकर काफी वृद्ध है और सोचने समझने की क्षमता भी खो चुके है इनको बहला फुसलाकर और भ्रमित कर उक्त वर्णित भूमि में से आराजी नम्बर 3563/2965

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

रकबा 5 बीघा भूमि को अपने नाम पर दिनांक 29.03.2011 को रजिस्टर्ड दान पत्र करवा लिया जबकि उक्त मौरूसी जायदाद को दान करने का रोडीलाल जी को भी कोई अधिकार नहीं था एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 से मिली भगत कर राजस्व रेकार्ड में उक्त दान पत्र के आधार पर अपने नाम पर अंकन करवा ली जबकि उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर आज भी काबिज हुं और मेरे ही अधिकार आधिपत्य व कब्जे में है और उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कोई कब्जा नहीं हैं। इसलिए मैं अपीलान्ट उक्त दिनांक 29.03.11 को निष्पादित दानपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा खुलवाया गया नामान्तरकरण सं. 64 को निरस्त करवाने की अधिकारी हुं।

4. उक्त वर्णित आराजीयात मौरूसी जायदाद है और मेरे गोदीना पिता रोडीलालजी व मेरी गोदीना माता ने विगत 39 वर्ष पूर्व ही मुझे सामाजिक रीति रिवाजानुसार गौद रख लिया था और उक्त सामाजिक रितिरिवजानुसार निष्पादित गोदनामा को कानूनी जामा पहुंचाने के लिए दिनांक 31.12.2007 को अलग से रजिस्टर्ड गोदनामा मेरे पक्ष में निष्पादित किया था और उक्त गोदनामा की एक एक प्रति मैने तत्कालीन समय ही पटवारी साहब चंगेडी व ग्राम पंचायत चंगेडी के यहां पेश कर दी थी और रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को भी यह जानकारी थी कि मैं रोडीलालजी की गोदीना पुत्री हु और उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर काबिज हू फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से मिली भगत कर उक्त अवैध्य दानपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में उक्त पांच बीघा भूमि का नामान्तरकरण सं. 64 खोल दिया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

5. यह कि उक्त गलत रूप से खुले नामान्तरकरण का ज्ञान मुझ अपीलान्ट को दिनांक 06.09.11 को हुआ जब रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं भूमि दलाल उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि जो मेरे कब्जेसुदा है उक्त भूमि पर कब्जा करने आये व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उक्त पांच बीघा भूमि को विक्रय करने की धमकी दी परन्तु दलाल के जाने के पश्चात मेने जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण की नकल निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने रोडीलालजी को भ्रमित कर उक्त पांच बीघा भूमि का दानपत्र अपने नाम पर निष्पादित करवा लिया है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 से मिलीभगत कर उक्त पांच बीघा का नामान्तकरण संख्या 64 अपने नाम पर खुलवा दिया है जिससे आज में यह अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रही हुं। इससे पूर्व मुझे

akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

इस बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि मौके पर मैं सम्पूर्ण भूमि पर काबिज हुं और मेरे ही कब्जेकाश्त में हैं।

6. अतः प्रार्थना है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से मिलीभगत कर खोले गये नामान्तरकरण सं. 64 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त वर्णित खसरा नम्बर 3563/2965 रकबा 5 बीघा भूमि का अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ अपीलान्ट के नाम पर अंकित फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है जो सही हैं। अपीलान्ट इस न्यायालय से कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत चंगेडी द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 64 दिनांक 20.06.2011 से रूष्ट होकर नामान्तरकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की हैं। अपील अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में दिये गये तर्क के आधार पर अपीलान्ट का यह कहना है कि रोडीलाल जी के कोई सन्तान नहीं होने से अपीलान्ट को रजिस्टर्ड गोद पत्र से गोद रखा। उक्त गोदनामें पर रोडीलाल व इनकी पत्नी हमेरीबाई ने दिनांक 31.12.2007 को निष्पादित करवाया हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा रोडीलाल जी से आराजी नम्बर 3563/2965 को दिनांक 29.03.2011 को रजिस्टर्ड दान पत्र से अपने नाम करवा ली हैं। जिसका नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया हैं उसे निरस्त करने की प्रार्थना की गई हैं।

10. पत्रावली के अवलोकन से तत्कालीन खातेदार श्री रोडा पिता भेरा द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 भेरूलाल पिता भगवान जी के पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 29.03.2011 को निष्पादित करवाया गया, उसी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण सं. 64 को स्वीकृत किया गया हैं। चूंकि उक्त नामान्तरकरण

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर पारित किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना जाहिर नहीं आया हैं। अपीलान्ट चाहे तो सक्षम न्यायालय में गोदनामें के आधार पर दाद प्राप्त कर सकते हैं।

11. चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चंगेडी द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर दान पत्र की पुष्टि होने के पश्चात् ही उक्त नामान्तरकरण को पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 64 दिनांक 20.06.2011 को यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner